न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा राज.

राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 97/2016 वाद पत्र

अनवान

1–नाथु आत्मज नान जी माली निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1–बालु आत्मज गोमा माली निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

2–मुला आत्मज गोमा माली निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

3–रामेश्वर आत्मज गोमा माली निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

4–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. मनीष दाधीच– **अधिवक्ता वादी**

निर्णय

दिनांक 15.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प नान्दशा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 2175 रकबा 0.21 है0, 2176 रकबा 0.11 है0, 2179 रकबा 0.11 है0, 2352 रकबा 0.25 है0, 2354 रकबा 0.09 है0, 2353 रकबा 0.16 है0, 2355 रकबा 0.48 है0, 2356 रकबा 0.19 है0, कुल किता आठ कुल रकबा 1.60 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 256 पर स्थित है। वादी की उक्त आराजियात की सीमा से सटी हुई प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत तीन की आराजियात स्थित है। प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत तीन आये दिन वादी की आराजियात में नाजायत दखलंदाजी करते हुए वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी संख्या 2176 रकबा 0.11 है0 में से 0.08 है0 भूमि पर अवैद्य रूप से नाजायज कब्जा कर दिया एवं थोहरो की बाड लगा दी, जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत तीन को उनका अवैद्य कब्जा हटाने बाबत् कहा लेकिन प्रतिवादीगण ने अवैद्य कब्जा हटाने से इन्कार करते हुए वादी के साथ लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये। जिस पर वादी ने प्रार्थनापत्र की कलम नम्बर एक में अंकित आराजियात की पत्थरगढी करने का प्रार्थनापत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर में प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 9/2015 पर दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 22.5.2015 को पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान फरमाया गया। जिसकी पालना में दिनांक 08.06.2016 को पटवारी हल्का व इंसपेक्टर हल्का द्वारा वादी की आराजियात की पत्थरगढी कर मौका पर्चा बनाया व पत्थरगढी के रून्डे रूपवाये गये। वादी की आराजियात की पत्थरगढी की गई उसमें वादी की आराजी संख्या 2176 रकबा 0.11 है0 में से 0.08 है0 (44*18 फीट) पर प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत तीन का अवैद्य एवं नाजायज कब्जा पाया गया है। प्रमाण में मौका पर्चा साथ प्रस्तुत है। जिससे वादी प्रतिवादी संख्या एक लगायत तीन द्वारा वादी की आराजी संख्या 2176 के 0.08 है0 रकबे पर किये गये अवैद्य एवं नाजायज कब्जे को हटा कर वादी पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैद्य कब्जे का अंकन मौका पर्चा दिनांक 08.06.2016 से स्पष्ट है जिसे हटाया जाना न्यायोचित है। वादी ने प्रतिवादी संख्या एक लगायत तीन को कई बार वादी की आराजी संख्या 2176 से उनका कब्जा कटाने बाबत् कहा लेकिन प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि हम कब्जा नहीं हटायेंगे। वादी ने प्रतिवादीगण का 24.06.2016 को

कब्जा हटाने बाबत् कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये। जिससे वादी को वाद हेतु विवश होना पडा है। यह कि बिनाय वाद दिनांक 08.06.2016 को पत्थरगढी करते समय प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत तीन का वादी की आराजी संख्या 2176 के 0.08 रकबे पर नाजायज कब्जा होने की जानकारी वादी को होने व वादी द्वारा प्रतिवादीगण को अपना अवैद्य व नाजायज कब्जा हटाने बाबत् कहने की दिनांक 24.06.2016 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है। और यह वाद पत्र अन्दर अवधि सादर प्रस्तुत है। प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत तीन द्वारा वादी की आराजी पर नाजायज कब्जा कर लेने से व प्रतिवादी संख्या चार लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाये गये हैं।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 24.08.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 बावजूद सूचना के उपस्थित नही अतः इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की जाती है। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 में भी नोटिस जारी किये गए। नोटिस की पालना में प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुऐ। वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र दस्तावेज रेकार्ड पर लेने बाबत् पेश किया जो स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा एकतरफा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। वाद अनुसार ग्राम नांदशा पटवार हल्का नांदशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित वादी के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 2176 के 0.08 हे0 (44*18 फिट) रकबे भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत तीन द्वारा किये गये अवैध कब्जे एंव अतिक्रमण को हटाया जाकर वादी को कब्जा सिपुर्द कराये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः

आदेश

ग्राम नांदशा पटवार हल्का नांदशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित वादी के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 2176 के रकबा 0.08 हे0 (44*18 फीट) रकबे भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत तीन द्वारा किये गये अवैध कब्जे एंव अतिक्रमण को हटाया जाकर वादी को कब्जा सिपुर्द कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर में सुनाया गया।

राजलक्ष्मी गहलोत
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 97/2016 वाद पत्र

अनवान

1–नाथु आत्मज नान जी माली निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1–बालु आत्मज गोमा माली निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

2–मुला आत्मज गोमा माली निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

3–रामेश्वर आत्मज गोमा माली निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

4–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम नांदशा पटवार हल्का नांदशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित वादी के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 2176 के रकबा 0.08 हे0 (44*18 फीट) रकबे भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत तीन द्वारा किये गये अवैध कब्जे एंव अतिकमण को हटाया जाकर वादी को कब्जा सिपुर्द कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है।

यह आज तारीख 15/06/2018 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

राजलक्ष्मी गहलोत

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा